अनुदान संख्या 94 – जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 94–MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
प्रभारित-	*Charged–*	*2894,98,00*	*1782,32,99*	*–1112,65,01*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*			*1112,65,01*
स्वीकृत-	Voted–	275,13,00	230,54,91	–44,58,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			43,89,86
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted -	50,00,00	. .	50,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			50,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*289498.00*	*178232.99*	*178232.99*	. .
पु.	*R.*	*–111265.01*			

(I) *1049.00 लाख रु.* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से *1000.00 लाख रु.* अकेले "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र'' के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण की संशोधित स्कीम के अनुसार राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) *Appropriation* of *Rs.1049.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads; of these *Rs.1000.00 lakhs* alone accounted for under "Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes – Education – Vocational Training Centres in Tribal Areas" – due to non-receipt of complete proposals from State Governments in conformity with revised scheme of vocational training.

(II) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अधीन अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं : -

(का) ''जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत स्कीम'' - *41926.00 लाख रु.* की बचत (*90050.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुईं; और

(खा) ''संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अधीन स्कीम'' - *60090.00 लाख रु.* की बचत (*100000.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने में विलंब होने के कारण हुईं।

(III) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं : -

(का) ''आदिम जनजाति समूहों का विकास'' - *7600.00 लाख रु.* की बचत (*15100.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कई राज्य स्तरीय समितियों से सिफारिशें प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(खा) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृति स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन'' - *150.00 लाख रु.* की बचत (*200.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्ताव उपयुक्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - अनुसंधान सूचना, जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार और अन्य'' के अंतर्गत *450.00 लाख रु.* की बचत (*1000.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) 3 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों अर्थात कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under "Grants for State Plan Schemes – Grants under Proviso to Article 275(1) of the Constitution" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Scheme under Tribal Sub-Plan" – saving of *Rs.41926.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.90050.00 lakhs*); and

(B) "Scheme under Proviso to Article 275(1) of the Constitution" – saving of *Rs.60090.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.100000.00 lakhs*).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilisation certificates and delay in submission of complete proposals in the prescribed format by the State Governments.

(III) Under "Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes - Education" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Development of Primitive Tribal Groups" – saving of *Rs.7600.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.15100.00 lakhs*) was due to delay in receipt of recommendations from many State Level Committees.

(B) "Scheme of PMS Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students" – saving of *Rs.150.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.200.00 lakhs*) was due to non-receipt of adequate number of complete proposals from some of the State Governments.

(IV) Under "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes – Education – Research Information, Mass Education, Tribal Festivals and others" – saving of *Rs.450.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.1000.00 lakhs*) was due to non-receipt of proposals from 3 Tribal Research Institutes *viz.* Karnataka, Tamilnadu and Uttar Pradesh.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes					
मू.		O.	18373.00	15475.75	15420.61	–55.14
पु.		R.	–2897.25			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.		O.	8050.00	. .	. .	. .
पु.		R.	–8050.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
पु.		R.	6519.34	6519.34	6519.34	. .

(I) 8113.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 7850.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" -"अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.8113.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.7850.00 lakhs accounted for under Major Heads "2552" – "Welfare of Scheduled Tribes-Education" – under the following heads:-

(का) "आदिम जनजाति समूह का विकास" - 500.00 लाख रु.;

(A) "Development of Primitive Tribes Group" – Rs.500.00 lakhs;

(खा) ''कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के गैर - सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान'' - 1050.00 लाख रु.;

(गा) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृति स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन'' - 5500.00 लाख रु.;

(घा) ''अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम'' - 500.00 लाख रु.; और

(ङ) ''अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति'' - 300.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2225'' -'' अनुसूचित जनजातियों का कल्याण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) ''शिक्षा'' -

(क) ''कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के गैर-सरकारी संगठनों का सहायता अनुदान'' - 250.00 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए चयन समिति की बैठक आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृति'' - 1200.00 लाख रु. की बचत (4200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवश्यक प्रमाणीकरण प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

(ग) ''उत्कृष्ट/उच्चकोटि के शिक्षा संस्थानों की स्कीम'' - 225.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थाओं से पूर्ण/

(B) "Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for exemplary service" – Rs.1050.00 lakhs;

(C) "Scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students" – Rs.5500.00 lakhs;

(D) "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys" – Rs.500.00 lakhs; and

(E) "Rajiv Gandhi National Fellowship for ST Students" – Rs.300.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2225" – "Welfare of Scheduled Tribes" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Education" –

(a) "Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service" – saving of Rs.250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to non-convening of selection committee meeting to consider new proposals.

(b) "Rajiv Gandhi National Fellowship for ST Students" – saving of Rs.1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4200.00 lakhs) was due to delay in receipt of necessary certification from University Grants Commission.

(c) "Scheme of Institutes of Excellence/Top Class Education" – saving of Rs.225.00 lakhs (against the sanctioned provision of

पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of complete/adequate number of proposals from Institutions.

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(B) "Other Expenditure" –

(i) ''जनजातीय क्षेत्रों के कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता का विकास करने के लिए शिक्षा परिसर'' - 1650.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(i) "Education Complex in low literacy pockets for development of women literacy in Tribal areas" – saving of Rs.1650.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs); and

(ii) ''जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र'' - 172.00 लाख रु. की बचत (372.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ii) "Vocational Training Centres in Tribal Areas" – saving of Rs.172.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.372.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कई राज्य स्तरीय समितियों से सिफारिशें प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to delay in receipt of recommendations from many State Level Committees.

(iii) ''अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार और अन्य'' - 263.29 लाख रु. की बचत (587.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा विधिवत संस्तुत पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) "Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and others" – saving of Rs.263.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.587.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals duly recommended by the State Governments.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 68.02 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 91 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.68.02 lakhs occurred constituting 91 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य व्यय - कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान''- 1000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3675.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) Major Head "2225" – "Welfare of Scheduled Tribes – Other Expenditure – Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for exemplary service"– excess of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3675.00 lakhs);

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' -

(B) Major Head "3601" –

(क) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - आदिम जनजाति समूहों का विकास'' - 461.80 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा'' -

(i) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृति स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन'' - 5500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) ''अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम'' - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 57.54 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जहां समस्त व्यय निधियों के पुनर्विनियोग से पूरा किया गया।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(a) "Grants for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Tribes – Education – Development of Primitive Tribal Groups" – excess of Rs.461.80 lakhs (against nil provision);

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Welfare of Scheduled Tribes – Education" –

(i) "Scheme of PMS Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students" – excess of Rs.5500.00 lakhs (against nil provision); and

(ii) "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys" – excess of Rs.500.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for uitlisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under one head excess of Rs.57.54 lakhs occurred, where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

4. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4225'' अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	5000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–5000.00			

(I) 5000.00 लाख रु. का प्रावधान "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता'' के अंतर्गत एक मामले में ग्यारहवीं योजना के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.5000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Support to National/State Scheduled Tribes Finance and Development Corporations" – due to non-receipt of approval of the competent authority for XIth Plan.